



न्यायालय अनुमण्डल दण्डाधिकारी, बुण्डू(राँची)



आदेश पत्रक

महोदय स्वामी

बनाम

साधु चरण कर्मकार वगैरह

क्र०/तिथि	आदेश एवं पदाधिकारी का हस्ताक्षर	की गई कार्रवाई
23-02-18	<p>अगिलेख सं०-एम.....11...../2018 धारा-107 द०प्र०सं० थाना प्रभारी <u>तसाइ</u> के अप्राथमिकी सं०-6/18... दिनांक-12/02/18... प्रस्तुत पुलिस प्रतिवेदन/आवेदन से सूचना मिली है कि <u>आपस में मारपीट होने की तैयारी इतना पता में लगाव है।</u></p> <p>जिससे संभावना है कि परिशांति भंग होगी या लोक परिशांति क्षुब्ध होगी या उभय पक्ष/विपक्षी कोई ऐसा असंतोषकारी कार्य करेंगे जिससे परिशांति भंग हो जाएगी या लोक परिशांति क्षुब्ध हो जाएगी।</p> <p>अतः मैं पायल राज, कार्यपालक दण्डाधिकारी, बुण्डू(राँची) उक्त पुलिस प्रतिवेदन से संतुष्ट होकर उभय पक्ष/द्वितीय पक्ष के विरुद्ध द०प्र०सं० की धारा-107 के अन्तर्गत कार्यवाही आरंभ करती हूँ। उभय पक्ष/द्वितीय पक्ष के विरुद्ध सूचना निर्गत करें कि वे कारण दर्शित करें कि उन्हें एक वर्ष तक परिशांति कायम रखने के लिए उससे/उनसे प्रत्येक को 1000(एक हजार) रु० का बन्ध पत्र उसी राशि के दो जमानतदारों के साथ राशि दाखिल करने हेतु आदेश क्यों नहीं दिया जाय।</p> <p>अगिलेख तिथि <u>16-03-18</u> को उपस्थापित करें।</p> <p>लेखापित एवं संशोधित</p> <div style="display: flex; justify-content: space-around; margin-top: 20px;"> <div style="text-align: center;">  कार्यपालक दण्डाधिकारी, बुण्डू। </div> <div style="text-align: center;">  कार्यपालक दण्डाधिकारी, बुण्डू। </div> </div>	
16-03-18	<p>जीन लीन पदाधिकारी - नगर पंचायत - बुनाव रुद्र में बन्ध व्यक्त। दिनांक 02-04-18 से रखें।</p>	

दिधि	आदेश एवं पदाधिकारी का हस्ताक्षर
29-10-18	<p>अमिलेरण उपस्थापित। उमर पर उपस्थित। उक्त बढ के 6 (के.) माह की अवधि- पूर्ण हो चुकी है अर्थात् बढ काल बाधित हो गया है। अब बढ के अमिलेरण की कावरी बन्द की जाती है। अस्थापित एवं संशोधित</p> <div style="display: flex; justify-content: space-around; margin-top: 20px;"> <div data-bbox="351 1030 766 1288">  कायपालक दण्डाधिकारी बुन्द (रंजी) </div> <div data-bbox="1037 963 1388 1288">  29/10/18 कायपालक दण्डाधिकारी बुन्द (रंजी) </div> </div>